प्रति,

1. माननीय कलेक्टर महोदय
   जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
   अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
3. तहसीलदार महोदय
   तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

विषय: शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत एवं अतिक्रमण हटाने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं जितेन्द्र कुमार जायसवाल, निवासी नेहरू नगर, डिगमा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) हूं।

यह निवेदन है कि पटवारी हल्का नंबर – 56 अंतर्गत ग्राम पंचायत – अजीरमा में स्थित खसरा नंबर 74/1, जो कि शासकीय भूमि है, उस पर लगभग 02 एकड़ भूमि में प्रधान आरक्षक रविन्द्र भारती, जिसकी वर्तमान पदस्थापना पुलिस लाइन सूरजपुर में है, द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से कब्जा कर शेड निर्माण कार्य किया जा रहा है।

उक्त व्यक्ति ग्राम अजीरमा का निवासी भी नहीं है, इसके बावजूद प्रभाव एवं पद का दुरुपयोग कर शासकीय भूमि पर कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यदि समय रहते इस अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया तो शासकीय भूमि पर स्थायी अतिक्रमण हो सकता है, जिससे राज्य शासन को आर्थिक क्षति होगी तथा शासन की भूमि पर अवैध कब्जों को बढ़ावा मिलेगा।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि—

1. उक्त प्रकरण की तत्काल राजस्व जांच पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से कराई जाए।
2. जांच में अवैध कब्जा पाए जाने पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए।
3. शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाए।
4. निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

कृपया प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक: 06/03/2026

प्रतिलिपि सलग्न।

(1) ऑनलाइन निकला हुआ फ़ार्म पी -II (खसरा) की छायाप्रति सलग्न।

आवेदक

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
नेहरू नगर, डिगमा, अंबिकापुर
जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)
मो. 09424262547
Email: Bharatsamman@gmail.com

कार्यालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर